बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–33/2016 396 पटना, दिनाक. 04.12.17

कार्यालय आदेश

श्री प्रेमचन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखड विकास पदाधिकारी, बडहरिया, सीवान के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 283494 दिनांक 05.09.2016 के साथ जिला पदाधिकारी, सीवानके पत्राक 1180/स्थापना दिनांक 08.08.2013 के साथ सलग्न प्रपत्र 'क' के आधार पर निदेशालय के आदेश संख्या 295 सहपठित ज्ञापाक 2277 दिनांक 14.11.2016 द्वारा श्री प्रेमचन्द प्रसाद पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील नियमावली) 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. सचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता(राजस्व), सीवान को सचालन पदाधिकारी तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीवान को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

सचालित विभागीय कार्यवाही मे श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये थे :–

" कर्तव्य, दायित्वो के प्रति धोर लापरवाही एवं निजी स्वार्थ हेतु सरकारी नियमो का उल्लधन'– आपके द्वारा इंदिरा आवास के लाभुको को प्रथम किस्त के भुगतान में विभागीय दिशा निदेश एवं वरीय पदाधिकारियो के आदेशो के अवहेलना कर घोर वित्तीय अनियमितता की गयी। जो भी एडवाइस प्रथम किस्त के लिए बैंको में भेजा गया है उसके पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नही किया गया है। विभाग का निदेश है कि अतिम रूप से चयनित लाभार्थियो के पूर्व उनसे सबंधित सारी सूचनाएँ आवास सॉफट मे आप लोड की जायेगी। आवास सॉफट की माध्यम से ही प्रखड विकास पदाधिकारी जिन लाभार्थियो को स्वीकृत करेंगे उसी को डी0आर0डी0ए0स्तर से आवास सॉफट मे स्वीकृति दिया जायेगा। तत्पश्चात कम्युअराइज्ड ऑडर सिट को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से बैक में भुगतान हेतु भेजा जायेगा। इसके पूर्व अन्य आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है तथा आपत्ति लेना आदि । आपके द्वारा की गई अनियमितता की विवरणी निम्न प्रकार है –

(i). **ग्राम पंचायत राज कोईरीगॉवा** :– आपके द्वारा इस ग्राम पंचायत राज मे इदिरा आवास के कुल 44 लाभार्थियों को प्रथम किस्त सहायता राशि के रूप में 22 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1252 दिनाक 11 06 2013 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कारबाला मे भेजा गया है।

(ii). **ग्राम पंचायत राज चौकी हसन** :– इस ग्राम पंचायत राज में कुल 37 लाभार्थियों को प्रथम किस्त सहायता राशि के रूप में 18 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक1273 दिनाक 14 06 2013 से पंजाब नेशनल बैंक दीनदयालपुर एक एक एडवाइस भेजा गया है। दुसरा एडबाइस 38 लाभार्थियों के लिए मो०19 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1282 दिनाक 15.06.2013 से भेजा गया। पहले वाले एडबाइस का चेक संख्या 736028 दिनांक–12 06 2013 एवं दूसरे का चेक सख्या–736030 दिनाक–12.06.2013 है।

(iii) **ग्राम पंचायत राज भोपतपुर** :– इस ग्राम पंचायत राज में कुल 48 लाभार्थियो को प्रथम किस्त सहायता राशि मे 24 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1254–II दिनाक 11.06.2013 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहादुरपुर को एडवाइस में भेजा गया है जिसका चेक सख्या–736037 दिनांक–12.06 2013 है।

(iv). **हरदोबरा ग्राम प्रंचायत**:– इस ग्राम पचायत राज मे कुल 56 लाभार्थियो के लिए मो० 28 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1254–II दिनांक 11 06.2013 पजाव नेशनल बैक दीनदयालपुर को भेजा गया है,जिसका चेक सख्या–736016 दिनाक 12 06 2013 है।

02709 स्था0 1 (14 नवबर 2017) पेम चन्द प्रसाद

(v). **ग्राम पंचायत माधोपुर** :– इस ग्राम पचायत राज में कुल 2 एडवाइस भेजा गया है। पहला एडवाइस जिसमें 10 लाभार्थियों के लिए मो0 5 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1279 दिनाक 14.06 2013 है जिसका चेक संख्या 736035 दिनाक 12.06.2013 है जो बैक ऑफ इंडिया कैलगढ को भेजा गया है। दूसरा एडवाइस जिसमें 25 लाभार्थियों के लिए मो012 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1279–II दिनांक 14.06.2013 है, जिसका चेक सख्या 736031 दिनांक 12.06.2013 से भेजा गया है।

(vi). **ग्राम पंचायत राज औराई** :– इसमें दो एडवाइस के माध्यम से राशि भेजी गई है। पहला इडवाइस 10 लाभार्थियों के लिए मो० 5 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15 06.2013 है, जिसका चेक सख्या 736018 दिनाक 12.06.2013 है से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लकडी को भेजा गया है दुसरा एडवाइस जिसमें 4 लाभार्थियो के लिए मो0 2 लाख रू० उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1340 दिनांक 15 06 2013 है जिसका चेक सख्या–736017 दिनाक 12.06.2013 है । जो बैक आफ इडिया कैलगढ को भेजा गया है।

(vii) **ग्राम पंचायत राज भामोपाली** :– इसमे कुल 11 लाभार्थियो के लिए मो० 5 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1259–II दिनांक 12 06 2013 है जिसका चेक संख्या–736022 दिनांक 12.06 2013 है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक बहादुरपुर को भेजा गया है।

(viii). **ग्राम पंचायत राज दीनदयालपुर**:–इसमें कुल 18 लाभार्थियों के लिए मो० 9 लाख रू० उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक–1338 दिनाक–15.06 2013 है, जिसका चेक संख्या–736032 दिनांक 12 06 2013 है। जो पजाब नेशनल बैक दीनदयालपुर को भेजा गया है।

(ix). **ग्राम पंचायत राज पडरौना खुर्द** :– इसमे कुल 19 लाभार्थियो के लिए मो० 9 लाख 50 हजार रू० उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक–1272 दिनांक–14.06.2013 है, जिसका चेक संख्या–736027 दिनांक 12.06 2013 है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक कारबाला मे भेजा गया है।

(x). . **ग्राम पंचायत राज कैलगढ़** :– इसमें 3 एडवाइस भेजा गया है। पहला 2 लाभार्थियो के लिए मो० 1लाख रू0 उप विकास आयुक्त, सिवान के ज्ञापांक 1270 दिनांक 14.06.2013 है जिसका चेक संख्या–736025 दिनाक 12.06.2013 है। जो बैंक आफ इंडिया कैलगढ उत्तर को भेजा गया है।

दूसरा 12 लाभार्थियो के लिए मो० 6 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक–1236 दिनाक 12 06.2013 है, जिसका चेक संख्या 736001 दिनांक 12 06 2013 है। जो बैंक आफ इंडिया कैलगढ उत्तर को भेजा गया है।

तीसरा 17 लाभार्थियो के लिए मो0 8 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1234 दिनाक–12.06 2013 है जिसका चेक संख्या–736019 दिनांक–12 06 2013 है जो बैंक आफ इंडिया कैलगढ उत्तर को भेजा गया हैं ।

(xi). **ग्राम पंचायत राज बहादुरपुर** :– इसमें कुल 3 एडवाइस के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भेजी गई है:–

पहला 6 लाभार्थियो के लिए मो० 3 लाख रू0 उप विकास आयुक्त, सिवान के ज्ञापांक 1240 दिनांक 12.06.2013 है जिसका चेक सख्या–736009 दिनाक 12.06.2013 है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक बहादुरपुर को भेजा गया है।

दूसरा 30 लाभार्थियों के लिए मो० 15 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक–1238 दिनाक 14.06 2013 है, जिसका चेक सख्या 736010 दिनाक 12.06.2013 है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बहादुरपुर को भेजा गया।

तीसरा 15 लाभार्थियो के लिए मो0 7 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1237 दिनांक–14 06.2013 है जिसका चेक सख्या–736011 दिनाक–12.06.2013 है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहादुरपुर को भेजा गया है ।

(xii). . ग्राम पचायत राज बडहरिया :– इस पचायत मे कुल 34 लाभार्थियो के लिए मो0 17 लाख 50 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1290 दिनाक–15.06.2013 है जिसका चेक संख्या–736007 दिनांक–12.06.2013 है जो को–ऑपरेटिव बैंक बडहरिया को भेजा गया है।

(xiii). **ग्राम पंचायत राज नवलपुरः–** इस पंचायत में ~~——~~46 लाभार्थियो के लिए मो० 23 लाख रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1269 दिनाक–14.06.2013 है जिसका चेक संख्या–736024 दिनांक 12.06 2013 है जो सेन्ट्रल बैक ऑफ बडहरिया को एडवाइस भेजा गया है।

(xiv). **ग्राम पंचायत राज बालापुरः–** इस पचायत मे कुल 19 लाभार्थियो के लिए मो० 9 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापांक 1249 दिनाक–14 06.2013 है जिसका चेक सख्या–736021 दिनांक–12 06 2013 है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक बहादुरपुर को भेजा गया हैं ।

(xv). **ग्राम पंचायत राज तेतलहीः–** इस पचायत में कुल 39 लाभार्थियों के लिए मो० 19 लाख 50 हजार रू0 उप विकास आयुक्त सिवान के ज्ञापाक 1262 दिनांक–14.06 2013 है जिसका चेक सख्या–736020 दिनाक–12 06 2013 है जो सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक को भेजा गया हैं ।

शेष ग्राम पचायतों के लाभार्थियो के लिए प्रथम किस्त के लिए जो सहायता राशि का एडवाइस विभिन्न बैको में अभी भेजा गया है, उनका एडवाइस कार्यालय द्वारा नहीं दिखलाया गया है।

उपर्युक्त जो भी एडबाइस तैयार किया गया है उसमें दो तीन एडवाइस को छोडकर कोई भी एडवाइस सभवतः बैंक में अभी तक नही भेजा गया है, क्योकि कार्यालय से बैंक द्वारा एडवाइस प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया तो उनके द्वारा इस संबध मे कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया गया। इस क्रम मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कारबाला मे जाने पर शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया कि मात्र एक ही एडवाइस बैक को प्राप्त है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है ।

ज्ञापाक 1252 दिनांक 11 06 2013 राशि 22 लाख लाभार्थी 44 साथ ही शाखा प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि निम्नलिखित एडवाइस आज ही अभी प्राप्त हो रहे है जो अभी बाक्स में ही है।

1. ज्ञापाक 1273 दिनांक 14.06.2013 राशि 1 लाख 5 हजार
2. ज्ञापांक 1200 दिनाक 14 06.2013 राशि 1 लाख
3. ज्ञापांक 832 दिनाक–15 04 2013 राशि 30 हजार
4. ज्ञापाक 830 दिनाक 15 04 2013 राशि 2 लाख 40 हजार

उपरोक्त क्रमाक 3 एव 4 पर जो ज्ञापाक है वो दिनांक 15.04.2013 का है। लेकिन बैक में दिनाक 17 06.2013 को भेजा गया है यह सदेहात्मक स्थिति पैदा करता है हो सकता है कि इस प्रकार और मामला हो लेकिन समयाभाव के कारण मात्र एक ही बैंक की स्थिति स्पष्ट हो सकी ।

सभी एडवाइस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी चेक दिनाक 12 06 2013को काटा गया है जिसमें किसी भी विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

(xvi). अपने मनमाने ढग से शिविर का आयोजनः– विशेष शिविर के लिए दिनाक 28 06 2013 विभाग से अनुरोध किया गया था। इसकी सूचना जिला स्तर से प्र०वि0पदा०, बडहरिया को देने के बाबजूद भी उनके द्वारा शिविर का आयोजन नही किया गया तथा मनमाने ढग से प्रथम किस्त की राशि का वितरण किया गया है । जो आपके गलत मशा का द्योतक है। प्रखड स्तर पर कोई सूची आदि का प्रकाशन भी नही किया गया है। जिसके कारण प्रखड बडहरिया के लोगों में आक्रोश है। साक्ष्य के रूप मे दिनाक 17 06 2013 तक जो भी आवास साफट में इन्ट्री की गई है। उसका ब्यौरा संलग्न है। चेक बुक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लगभग 4 करोड 50 लाख रू0 प्रथम किस्त मे राशि लाभुक के खाते में स्थानान्तरण करने हेतु एडवाइस भेजा गया है। दिनाक 15.06.2013 तक रोकड पंजी मे मात्र मो015,25,213.00रू0 अवशेष है।

सभी अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्र0वि0पदा0 बडहरिया द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा किया गया है। जो दडनीय एव सज्ञेय अपराध है। ''

3. सचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता,सीवान के पत्राक–69मु०/रा० दिनाक 05 05.2017 द्वारा श्री प्रेमचन्द प्रसाद के विरूद्ध सचालित विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

समर्पित जॉच प्रतिवेदन मे सचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री प्रेमचन्द प्रसाद के स्पष्टीकरण एव प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मतव्य के समीक्षोपरान्त निष्कर्ष दिया है कि " श्री प्रेमचन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बडहरिया पर मूल आरोप यह है कि ग्राम पचायत राज कोईरीगॉवा सहित 15 पंचायतो मे इंदिरा आवास के लाभुको को प्रथम किस्त के भुगतान मे विभागीय दिशा निर्देश एव वरीय पदाधिकारियो के आदेशो की अवहेलना कर घोर वित्तीय अनियमितता की गई है। यद्यपि की आरोप पत्र मे मे उप विकास आयुक्त के जिन–जिन पत्राक का उल्लेख किया गया है वो वहॉ से निर्गत नही है। यह टकण भूल –वश सभवत अंकित हो गया है। यह पत्र प्रखड से निर्गत हुआ होगा। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने जवाब मे लिखा गया है कि लक्ष्य के विरूद्ध चयनित लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि भेजी गयी लेकिन यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि यह राशि कब और किस रूप मे भेजी गयी। उपस्थापन पदाधिकारी का मतव्य है कि चेक तो काटा गया लेकिन बैंक को ससमय हस्तगत नही कराया गया तथा पावती रसीद मॉगने पर स्पष्ट जबाब नही दिया गया। जो सदेह पैदा करता है। आरोपित पदाधिकारी के जबाब में प्रधान मंत्री आवास योजना एव चेक भेजने की स्थिति स्पष्ट नही किया जाना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। लाभान्वितो को प्रथम किस्त की राशि का चेक तथा एडवाईस ससमय न भेजकर मनमानी तरीके से बैको को भेजना यह इनके द्वारा की गई जानबूझकर गलती का परिचायक है। इस रूप में यह आरोप प्रमाणित होता है।

जहॉ तक दिनांक 28 06 2015 को शिविर आयोजित नही करने का आरोप है इनके द्वारा दिनांक 18.06 2015 को ही प्रखंड का प्रभार अचलाधिकारी, बडहरिया को दे दिया गया था। इसके लिये उक्त तिथि को इनके द्वारा शिविर का आयोजन सभव नही था। अतएव यह आरोप प्रमाणित नही होता है। "

4 संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1263 दिनाक 15 06 2017 द्वारा अभ्यावेदन की मॉग की गयी जिसके आलोक मे श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 20.06 2017 को प्राप्त हुआ। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा समर्पित पूर्व के स्पष्टीकरण मे किया गया था।

5. श्री प्रेमचन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बडहरिया, सीवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्राक 553/स्था० दिनाक 27 06 2016 द्वारा मतव्य दिया गया जिसमे कहा गया है कि " आरोपति पदाधिकारी के द्वारा प्रखड बडहरिया के ग्राम पंचायत राज कोईरीगॉवा, चौकी हसन, भोपतपुर, हरदोबरा, माधोपुर, औराई, भामोपाली, दीनदयालपुर, पडरौना खुर्द, कैलगढ बहादुरपुर, बडहरिया, नवलपुर, बालापुर एवं तेतलही मे कुल 540 इदिरा आवास के लाभार्थियो को प्रथम किस्त की सहायता राशि दी गई है।

इदिरा आवास आवटन की प्रक्रिया के आलोक में "लाभार्थियो की सूची का प्रकाशन प्रखड स्तर पर किया जाना है तथा आपत्ति प्राप्त की जानी है। अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थियों के पूर्व उनसे संबंधित सारी सूचनाए आवास सॉफ्ट मे अपलोड की जानी है। आवास सॉफ्ट के माध्यम से ही प्रखड विकास पदाधिकारी जिन लाभार्थियों को स्वीकृत करेगे उसी को डी०आर०डी०ए० स्तर से आवास सॉफ्ट मे स्वीकृति दिया जायेगा। तत्पश्चात् कम्प्युटारईजड ऑडर सिट को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से बैक मे भुगतान हेतु भेजा जाएगा। "

आरोपित पदाधिकारी के द्वारा उपरोक्त किन्ही पचायतो मे लाभर्थियो को प्रथम किस्त की सहायता राशि देने के पूर्व उपरोक्त आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ मे सरकारी नियमो को दरकिनार करते हुए लाभर्थियो के बीच इदिरा आवास के लाभार्थियों को प्रथम किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। "

02709 स्था0 1 (14 नवबर 2017) पैम चन्द प्रसाद

6 इस प्रकार श्री प्रेमचन्द प्रसाद पर गठित आरोप एव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन तथा जिला पदाधिकारी, सीवान के मतव्य से स्पष्ट होता है कि श्री प्रेमचन्द प्रसाद द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ मे सरकारी नियमो को दरकिनार करते हुए लाभार्थियों के बीच इंदिरा आवास के प्रथम किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराया गया जो दंडनीय एव संज्ञेय अपराध है एव इसके लिए वे दोषी है ।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री प्रेम चन्द प्रसाद, तत्कालीन प्रखड विकास पदाधिकारी, बडहरिया, सीवान पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (VI)के तहत सचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापाक – स्था०1/आ०2–33/2016 पटना, दिनाक

प्रतिलिपि .– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना।

2 जिला पदाधिकारी, सिवान।

3 संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सिवान।

4 सहायक परियोजना पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान।

5 प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अविलब श्री प्रेमचंद प्रसाद की सेवा पैतृक विभाग , अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, को सौपने की कृपा की जाए।

6 उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–283494 दिनांक–05 09.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

7. श्री प्रेमचंद प्रसाद, सहायक प्रबधक, राज्य खाद्य निगम, सिवान।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

निदेशक

ज्ञापाक .– स्था०1/आ०2–33/20162 2708 पटना, दिनाक 04-12-17

प्रतिलिपि :– श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/12/17

निदेशक